फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल
श्री प्रभुलाल पिता नाथु दरोगा निवासी चॉखेड़ तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
वगैरहा
बनाम
श्री देबीलाल पिता मांगु दरोगा निवासी चॉखेड़ तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
वगैरहा

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र मुकदमा नम्बर 29 सन 2018

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2018	प्रकरण प्रस्तुत पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील वादीगणों की बहस सुनी गई कि ग्राम चॉखेड़ पटवार हलका चॉखेड़ तहसील माण्डल के आराजी नं0 1105, 1123 से 1127 कुल 6 रकबा 13.08 बीघा भूमि संयुक्त शामलाती है जिस पर सभी अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है परन्तु विपक्षीगण वादीगणों को बेदखल कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। अतः विपक्षीगणों को पाबंद करे कि वादीगणों को बेदखल नहीं करे तथा मौके व रेकार्ड़ की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करे। मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील वादीगणों की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन वादीगणों के पक्ष का है। यदि उक्तानुसार वर्णित आराजियात से वादीगणों को बेदखल किया जाता है तो वादीगणों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम चॉखेड़ पटवार हलका चॉखेड़ तहसील माण्डल के आराजी नं0 1105, 1123 से 1127 कुल 6 रकबा 13.08 बीघा भूमि में वादीगण के हक हिस्से 1/6 के अंतरण / विकय पर रोक लगाने हेतु विपक्षीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तारीख 27.02.2018 तक जारी की जाती है। हुकम इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करे। पत्रावली दिनांक 27.02.2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**	
27-2-18	उभय पक्ष अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8.5.18 को पेश हो। पूर्व का आदेश यथावत् रहेगा (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी मांडल	
4-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार-2018 चौखेड़ कैम्प में प्रस्तुत हुई। मूल वाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे [illegible]। (हस्ताक्षर)	